

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधानकार्यालय  
इलाहाबाद।

पत्र सं. 797-ई / पालिसी / 2018 / Contractual Staff  
दिनांक 16.10.2018

NCRPS No. 5290/2018

समस्त विभागाध्यक्ष / उमरे / इला., वरि. उप म. प्र., उप म. प्र. / सा.मु.प्रशा.अधि. / नि.  
मंडलरेलप्रबंधक / कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, झांसी, आगरा।  
मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगनरिपेयर शॉप, झांसी।  
मुख्य कारखानाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेलस्प्रिंगकारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।  
चेयरमैन, आरआरसी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।  
उप मु. सा. प्र. / झांसी, उप मुख्य इंजी. / सीपीओएच / इला., अधि.इंजी. / सीएसपी / इला.।  
प्रिन्सिपल-सुपरवाइजर सट्रेनिंग सेंटर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, लोको, झांसी,  
बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, सी एण्ड डब्ल्यू, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वैगनवर्क शॉप, झांसी, सी एण्ड  
डब्ल्यू, ट्रेनिंग सेंटर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेंटर झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन,  
ट्रेनिंग सेंटर सूबेदारगंज, इला., इलैक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, मु.प्रा.अधि.,  
आईआरपीएमयू / नई दिल्ली।  
उप मु.इंजी. / ब्रिज / लाईन / इला., झांसी, आगरा, उप मु.इंजी. / टीएमसी / लाईन / झांसी।  
व.स.वि.स. / कैश एवंपे / उमरे, इला.।

Sub:-Fixing of Remuneration in favour of Re-engaged retired Employees  
coverd under NPS.

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2018/Trans.Cell/S&T/Contractual Staff दिनांक 12.09.2018 की  
प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

(वी.पी. सिंह)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / मुख्या.  
कृते महाप्रबंधक कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / स्था., उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक- एस.सी., एस.टी. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एनसीआरई एस, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
6. महामंत्री, एनसीआर एम यू, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
7. महामंत्री, एनसीआरपीओ ए, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।

  
23/10/18



R36-2018-1797

17-9-18

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
RAILWAY BOARD

15311

No. 2018/Trans.Cell/S&T/Contractual Staff

New Delhi, dated: 12.09.2018

*NCR Allahabad*  
The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(Con), CORE  
The DG/RDSO/Lucknow, DG/NAIR/Vadodara  
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RWP/Bela, CAO/IROAF

**Sub: Fixing of Remuneration in favour of Re-engaged Retired Employees covered under NPS.**

**Ref: (1) Board's letter No. E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 Dated- 16.10.2017.  
(2) DRM/TVC's Letter No. V/G.157/DRM/Re-engagement dated 28.08.2018.**

With reference to DRM/TVC's letter at (2) and Board's letter at (1) above, Board (MS, FC & CRB) have approved that the remuneration of re-engaged retired employees covered under NPS may be suitably dealt with, on merit on case to case basis.

This issues with the concurrence of Associate Finance of Transformation Cell of Railway Board.

Kindly acknowledge the receipt and ensure compliance.

*880*  
12.9.18  
(Umesh Balonda)  
Executive Director/S&T  
Transformation Cell

No. 2018/Trans.Cell/S&T/Contractual Staff

New Delhi, dated: 12.09.2018

1. PFAs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI (Railways), New Delhi
3. The Director of Audit, All Indian Railways

Copy: As per list attached.

महाप्रबंधक कार्यालय  
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद  
र.जा  
13  
14 SEP 2018  
महाप्रबंधक सचिव

*PCPO*  
Sanjeeb Kumar  
(Sanjeeb Kumar)  
Executive Director Accounts  
Transformation Cell

*18.9.18 PCPO*

*14-9-18*

*(39)*

*R  
AM  
4/10/18*

प्र० मुकाधिम	✓
मुकाधिम (प्रशा०)	✓
मुकाधिम (आई० आर०)	18/09/18
उप मुकाधिम (प्रशा०)	
उप मुकाधिम (मुख्या०)	
उप मुकाधिम (आई० आर०)	
अध्यक्ष/संभारप्र०	
प्र० का० अधि० (सज)	
प्र० का० अधि० (अं० स०)	
प्र० का० अधि० (मुख्या०)	✓
सकाधिम (आई० आर०)	
सकाधिम (मर्तो०)	
प्र० का० अधि० (अं० स०)	

*Policy*